

थाना मुजरिया पुलिस द्वारा 01 अवैध चाकू समेत 01 व्यक्ति एवं थाना मूसाझाग व बिल्सी पुलिस द्वारा करीब 110 ली अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत कुल 07 अभि0गण गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अवैध शस्त्र/शराब क्रय/विक्रय/तस्करी/निष्कर्षण/रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.05.2021 को थाना मुजरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास कश्यप पुत्र गोविंद राम निवासी ग्राम बितरोई थाना मुजरिया जनपद बदायूं को एक नाजायज चाकू समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

इसके अतिरिक्त थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा कुल 06 अभि0गण को भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त 1. धीरेश पुत्र ओमकार नि0 कोतल नगला थाना सहसवान जनपद बदायूं हाल पता जगुआसेई थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को शराब बनाते हुये ग्राम जगुआसेई से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा मौके से ही करीब 100 लीटर लहन को नष्ट किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त 2. रामदास पुत्र ईश्वरी निवासी ग्राम अंतीनगला थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को एक प्लास्टिक की जरी केन में 17 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त 3. पप्पू पुत्र गोकिल निवासी ग्राम अंतीनगला थाना मूसाझाग जनपद बदायूं तथा 4. लाल सिंह पुत्र यादराम निवासी तोलकपुर थाना उझानी जनपद बदायूं को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त 5. हंसपाल पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम बहोलिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को 19 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त 6. मेहरबान पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम ललबुझिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूं को 19 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । थाना बिल्सी पुलिस द्वारा मुकेश पुत्र रामवीर निवासी ग्राम अकौली थाना बिल्सी जनपद बदायूं को 18 पौंवे अवैध शराब समेत

गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।